84

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

क्रमांक 107/2018
सं0 ई/57/1/भाग-।/चार

दिनॉक 04-07-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः-अस्थाई दर्जा प्राप्त आकस्मिक श्रमिक एवं अस्थाई रेल सेवक को रेल सेवा के दौरान मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

रेल सेवा पेंशन नियम-1993 के नियम 18(3) के अनुसार एक अस्थाई रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति मे उनका परिवार, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु उपादान उसी दर के लिये पात्र होगा, जो कि इन नियमों के अन्तर्गत स्थायी रेलवे कर्मचारी के परिवारों के लिये स्वीकार्य है।

उपरोक्त नियम में उल्लिखित " अस्थाई रेलवे कर्मचारी" की परिभाषा भारतीय रेल स्थापना नियमावली वाल्यूम-1 1989 (पुनर्मुद्रित 2009) के पैरा 1501में दी गयी है जो निम्नवत है-

"अस्थाई रेल कर्मचारी का अर्थ है, वह रेल कर्मचारी जिसका रेलवे अथवा रेलवे बोर्ड के अधीन किसी अन्य प्रशासन अथवा कार्यालय में किसी स्थायी पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार न हो। इस शब्द के अंतर्गत "नैमित्तिक श्रमिक" अस्थायी हैसियत वाले नैमित्तिक श्रमिक सहित, ठेके पर काम करने वाले अथवा " अंशकालिक कर्मचारी" अथवा "शिक्षु" शामिल नहीं हैं।"

जो कर्मचारी इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते है, उन्हे रेल सेवा पेशन नियम 1993 के नियम 18 (3) के अंतर्गत उल्लिखित पेंशनरी लाभ देय नही है।

उपरोक्त पर प्रमुकाधि महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(आर0 के0 गुप्ता)
सकाधि/मु0-।।
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक